

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प गौड़ो की दारी

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021 आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी के बयान व सहखातेदार के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व धारा 88 आर.टी.एक्ट के अनुसरण में ग्राम गौड़ो की दारी पंचायत...
गौड़ो की दारी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2076-77 में खाता संख्या 54 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम / पंचायत	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	<u>गौड़ो की दारी / गौड़ो की दारी</u>	<u>54</u>	<u>गौड़ो की दारी मोहनलाल</u>	<u>गौड़ो की दारी</u> <u>गौड़ो की दारी</u> <u>मोहनलाल</u> <u>श्री श्री न्यायालय</u> <u>का स्वागत है।</u> <u>वां कुतूब है।</u>

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
दिनांक:- 6.12.21

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 475
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री..... को सूचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।
राजेश कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर